

OJCE (EITC)

Receipt No. 5170

Date 16-06-2019

DGM (IT) / SE (6)

E.Web

Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:-U40108CT2003SGC015820

कार्यालय:- उप महाप्रबंधक (मा.सं) पता:- क्वा0 नं0 सी-8/11 प्रथम तल, डंगनिया परिसर, रायपुर (छ0ग0) 492013

वेबसाइट-www.cseb.gov.in Email - dgmhr.csptclraipur@cseb.gov.in Telefax no. 0771-2574298, Tele.no 0771- 2574298 /99

क्रमांक: 02-14/ट्रास0/स0प्र0/2092

/रायपुर, दिनांक

15 OCT 2019

आदेश

अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (as amended in 1973, 1986 and 2014) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को टेक्नीशियन अप्रेन्टिस के रूप में रु. 8000/- (रूपये आठ हजार) प्रति माह की निश्चित वृत्तिका (Stipend) पर, एक वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम एवं शर्तों के अधीन उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में, प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया जाता है:-

क्रं0	प्रशिक्षु का नाम (सर्वश्री/कुमारी)	अभ्यर्थी की श्रेणी	चयनित श्रेणी	NATS Reg. No.	पदस्थापना स्थल
टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)					
01	नितेश जांगड़े	अ.जा.	अनारक्षित	WCTD011170600354	132 के0व्ही0 उपकेन्द्र महासमुंद अंतर्गत कार्य0 अभि0 (उप0) संभाग-दो रायपुर।
02	इंदु देवांगन	अ.पि.व.	अनारक्षित	WCTD011180700159	132 के0व्ही0 उपकेन्द्र भिलाई अंतर्गत कार्य0 अभि0 (उप0) संभाग भिलाई।
03	हेमन्द्र कुमार बंजारे	अ.जा.	अ.जा.	WCTD011170200332	कार्य0 अभि0 (अ0उ0दा:संधा0) संभाग, बिलासपुर।
04	प्रतीक गोले	अ.पि.व.	अ.पि.व.	WMPD011180600288	कार्य0 अभि0 (अ0उ0दा:संधा0) संभाग, कोरबा।
05	अक्षम कुमार पन्ना	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	WCTD088180600002	कार्य0 अभि0 (अ0उ0दा:नि0) संभाग, कोरबा।
06	जीतु मानकर	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	WCTD011170100006	132 के0व्ही0 उपकेन्द्र बालोद अंतर्गत कार्य0 अभि0 (उप0) संभाग भिलाई।
टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग)					
01	ऊषा मेहरा	अनारक्षित	अनारक्षित	WCTG012190600002	कार्य0 अभि0 (सी एण्ड टी एम) संभाग, कोरबा।
टेक्नीशियन अप्रेन्टिस (सिविल इंजीनियरिंग)					
01	घनश्याम	अनारक्षित	अनारक्षित	WCTD001161200043	कार्य0 अभि0 (400 के0व्ही0 सिविल) संभाग, रायपुर।

प्रशिक्षण नियुक्ति की सामान्य नियम एवं शर्तें:-

1. प्रशिक्षण अवधि में आवास, आवागमन का व्यय अभ्यर्थी स्वयं वहन करेंगे।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को केवल कार्यालयीन समयावधि में प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।
3. प्रशिक्षुओं को स्वयं के लिये चिकित्सा सुविधा जहां कंपनी के चिकित्सालय उपलब्ध है, मात्र वही दी जावेगी तथा किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
4. प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रशिक्षु का कंपनी में नियुक्ति का कोई दावा नहीं रहेगा।



पृष्ठ क्रं0 01

5. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को कंपनी के नियमानुसार 13 दिन आकस्मिक अवकाश एवं दस दिवस चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।
6. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु का कार्य/व्यवहार संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण कभी भी समाप्त की जा सकती है।
7. प्रशिक्षण के दौरान संयंत्र में कोई घटना/दुर्घटना की स्थिति में प्रशिक्षु को कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
8. Where the contract of apprenticeship is terminated for failure on the part of the apprentice of carry out terms of contract, the apprentice shall refund to the employer as cost of training such as amount as may be determined by the apprenticeship adviser. In such event, the apprentice shall not be entitled to enter into another contract of apprenticeship under the act with any other employer.
9. एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरांत प्रशिक्षु को शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र) मुंबई द्वारा दक्षता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. प्रशिक्षुओं को आदेश जारी होने की तिथि से दस दिनों के भीतर ज्वाइनिंग औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु निम्न दस्तावेजों के साथ उप महाप्रबंधक (मा0सं0) सीएसपीटीसीएल रायपुर कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है:-
 1. शासकीय पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)।
 2. शैक्षणिक योग्यताओं की मूल प्रमाण-पत्र।
 3. नवीनतम पासपोर्ट फोटो।
 4. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी।
11. ज्वाइनिंग औपचारिकताओं के पूर्णता पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु अपनी पदस्थापना कार्यालय में तत्काल उपस्थित होना अनिवार्य है।

आदेशानुसार
 15/10/19
 उप महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ0ग0स्टे0पा0ट्रांस0क0लिमि0रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 OCT 2019

क्र. 02-14/ट्रांस0/स.प्र./2019
 प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र), एटीआई कैम्पस, सायन ट्राम्बे रोड मुंबई-400022
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (.....), सीएसपीटीसीएल, रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता (.....), सीएसपीटीसीएल,
4. कार्यपालन अभियंता, (.....), सीएसपीटीसीएल,
5. सहायक अभियंता, (.....), सीएसपीटीसीएल,
6. स्टाफ आफिसर संबद्ध प्रबंध निदेशक(ट्रांस0), सीएसपीटीसीएल, रायपुर।
7. प्रबंधक (क्षे0ले0अ0-मुख्यालय), सीएसपीटीसीएल, रायपुर।
8. वरि0/क्षेत्रीय लेखाधिकारी सीएसपीटीसीएल, रायपुर/बिलासपुर।
9. श्री/श्रीमति/कु0 पता

टिप्पणी:- (सरल क0 02 एवं 04 के लिए)

3. प्रशिक्षु की मासिक उपस्थिति पत्रक (Attendance) फैंक्स द्वारा माह की 3 तारीख तक भेजने का कष्ट करें, ताकि प्रशिक्षु के शिक्षुवृत्ति (stipend) का भुगतान इस कार्यालय द्वारा सीधे प्रशिक्षुओं को बैंक खाते में किया जा सके।

4. ED/CE(EITC) CSPDCL, Raipur - It is requested to upload the above order in company website www.cspc.co.in.

प्रबंधक (मा0सं0) 15/10/19
 छ0ग0स्टे0पा0ट्रांस0क0लिमि0रायपुर
 15/10/19